क्रमांक	नाम	हस्ताक्षर
49.	श्री लालचंद यादव - सदस्य	[signature]
50.	श्री सुगनचंद फरमानिया - ऐल्डरमेन	Suganchand
51.	श्री गुरुविंदर बई - ऐल्डरमेन	[signature]
52.	श्री नरेश गोरख - ऐल्डरमेन	[signature]
53.	श्री अफरोज डायमंड - ऐल्डरमेन	Afroz
54.	श्री नितेश सोनी - ऐल्डरमेन	[signature]
55.	श्री मनोज शर्मा - ऐल्डरमेन	[signature]
56.	" सुभाष पांडेय - सांसद प्रतिनिधि	
57.	" महावीर चौहान - विधायक प्रतिनिधि	[signature]

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
(1)	पुनरीक्षित आय-व्यय वर्ष 2015-16 एवं अनुमानित आय व्यय वर्ष 2016-17 मेयर इन कौंसिल द्वारा प्रेषित प्रेषित प्रस्ताव विचारार्थ।	(1) बजट की बैठक प्रारंभ होते ही भा.ज.पा. पार्षदों एवं ऐल्डरमेन के द्वारा बजट की बैठक का बहिष्कार करते हुए सदन से चले गए तत्पश्चात महापौर जी द्वारा बजट का अभिभाषण पढ़ा गया एवं वित्त प्रभारी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत बजट में कांग्रेस एवं निर्दलीय पार्षद के सुझाव को सम्मिलित करते

[signature] अध्यक्ष न.पा.नि.

हुए प्रस्तुत आय व्यय वर्ष 2015-16 एवं अनुमानित आय व्यय वर्ष 2016-17 मेयर इन कौंसिल द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को संशोधित कर निम्नानुसार बहुमत से स्वीकृति प्रदान की जाती है,

पुनरीक्षित बजट वर्ष 2015-16 :-

(रु. लाख में)

	बजट अनुमान	पुनरीक्षित बजट
प्रारंभिक शेष	3540.67	1318.65
अनुमानित आय	35949.20	6867.74
कुल योग	39489.87	8186.39
कुल व्यय	35779.86	7505.01
बचत	3710.01	681.38

बजट अनुमान - 2016-17

(रु. लाख में)

प्रारंभिक शेष	681.38
अनुमानित आय	40588.20
कुल योग	41269.58
कुल व्यय	40007.50
बचत	1262.08

(2) एम.आई.सी. का प्रस्ताव क्र. (9) दिनांक 18/02/2016 में मेयर इन कौंसिल द्वारा प्रेषित प्रस्ताव विचारार्थ।

(2) एम.आई.सी. द्वारा प्रस्तुत करों के संबंध में विचार किया गया जिसमें कांग्रेस पार्षदों एवं निर्दलीय पार्षदों द्वारा संशोधन का मांग किया गया तदनुसार उनके मांग अनुसार संशोधन करते हुए बहुमत से निम्नानुसार स्वीकृति प्रदान की गई :-

वर्ष 2016–17 हेतु संपतिकर का निर्धारण निर्णय –

जोन क्रमांक01--रेल्वे फाटक से सुभाष चौक हटरी चौक लक्ष्मीपुर चौक ढिमरापुर चौक उर्दना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधक्का रोड। गांधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारो तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरूद्वारा रोड, नई सड़क । रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड नया गंज, शहीद चौक, केलो पुल होते हेमू कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रृंगार होटल से गौरीशंकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड मोड़ा कॉलोनी से गोदरी चौक,। गद्दी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुशी गली गांजा चौक। बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुड़ी चौक घड़ी चौक थाना रोड थाना के चारो तरफ किरोड़ीमल कॉलोनी, घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड हंडी चौक, गौशाला रोड चारो तरफ। सत्तीगुड़ी चौक से कामर्स कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक।नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त आवासीय कालोनियॉं, बहुमंजिला(फ्लेट)आवासीय भवन तथा शॉपिंगकाम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक02– बीड़पारा, सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली । चॉंदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किट हाउस तक । हेमू कॉलाणी चौक से बेलादुला रोड सर्किट हाउस से उर्दना रोड।शहीद चौक से जूना बड़पारा ,चॉंदनी चौक होते बस स्टैण्ड ,जंजघर रोड़ कोष्टापारा। एस. पी. बगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुड़ी चौक से बैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। रेल्वे क्रासिग से कबीर चौक उड़ीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड बायपास काशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुड़ा होते हुये सहदेवपाली निगम सीमा तक। गोगा राईस मील से मिठ्ठूमुड़ा दुर्गा चौक तक । दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड़ से लकड़ी टाल होते हुये ट्रासपोर्ट नगर चौक तक । चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिग से अतरमुड़ा रोड टी.वी. टॉवर रोड पहाड़ मंदिर रोड, चक्रधर नगर से कसेरपारा तक बोईरदादर चौक से विजयपुर निगम सीमा तक

जोन क्रमांक 03– जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हों

जोन क्रमांक 04– जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हों

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
	आवासीय			व्यवसायिक		
	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	13.50	7.00	12.00	15.00	9.00	12.00
02	12.00	6.00	10.50	13.50	7.50	9.75
03	6.00	3.00	5.25	7.50	4.50	6.00
04	4.50	2.00	3.75	6.00	3.00	4.50
निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर वर्ष 2013–14 के एवं 2014 –15 के अनुसार – भूमि 25.00, भवन 40.00 प्रतिवर्गफूट						

वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :–

1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001 /– से 20,000 /– तक – 6 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 20,001 /– से 50,000 /– तक – 8 प्रतिशत
3. वार्षिक भाड़ा मूल्य 50,001 /– से 80,000 /– तक – 10 प्रतिशत
4. वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,001 /– से 1,00,000 /– तक – 12 प्रतिशत
5. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,00,001 /– से 1,20,000 /–तक – 15 प्रतिशत
6. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,20,001 /– से 1,50,000 /–तक – 18 प्रतिशत
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,50,001 /– से अधिक – 20 प्रतिशत

नोट :–नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त औद्योगिक भूमि भवन तथा ,शोरूम ,गोदाम, राईस मिल, विवाह घर तथा शॉपिंग कॉम्पलेक्स , होटल ,लॉज सिनेमाघर के भूमि /भवन के संपत्तिकर वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना में 10 प्रतिशत रखरखाव छूट रहेगी एव वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना में 20 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर देय होगी।

शिक्षा उपकर :–10,000.00 रु. से अधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य होने पर आवासीय भवनों मे 1.5 प्रतिशत तथा व्यवसायिक भवनों मे 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी ।

समेकित कर :–वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से उपर 600.00 रु. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी।

संपत्तिकर में छूट :–

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छुट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. कृषि भूमि पूर्णतः कर मुक्त रहेगी।
5. धारा 137 के तहत वर्ष 2016–17 का संपत्तिकर 31 **जुलाई** 2016 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 **अक्टूबर** 2016 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छुट के 31 मार्च 2017 तक देय होगा तथा 31 मार्च के पश्चात् 6 प्रतिशत बकाया पर ब्याज देय होगा।

विशेष :– न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2) के संशोधित राजपत्र दिनॉंक 09 अगस्त 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति (31 मार्च 2017) तक स्व–निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर भवन स्वामी को एक हजार रूपये शास्ति अधिरोपित की जावेगी। शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमो के संपत्ति) पर जो संपतिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा ।

(37)

निर्णय

नोटः– संपत्तिकर स्वनिर्धारण पत्रक में अपने भूमि/भवन को नाप जोक कर क्षेत्रफल की जानकारी सही–सही भरे यदि स्वनिर्धारण पत्रक जॉच करने पर यह पाया जाता है कि आपके द्वारा अपने भूमि/भवन की जानकारी गलत भरकर संपत्तिकर की गणना कम की गई है, तो वास्तविक कर एवं अंतर की राशि का 5 गुना राशि दंड स्वरूप न.पा.नि. अधिनियम की धारा 138 (3) के तहत वसूल की जावेगी।

1) साप्ताहिक /दैनिक बैठकी फीस :–

नगर निगम रायगढ़ द्वारा विगत कई वर्षो से बाजार कर एवं दर पर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है एवं साप्ताहिक बाजार ठेका प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है, जिस हेतु बाजार कर एवं फीस में संशोधन किया जाता है। अतः स्वीकृत दर निम्नानुसार हैः–

क्र.	स्थान/ वस्तु	स्वीकृत दर
1	खुली भूमि 6X6 से 10X10 वर्गफूट तक सब्जी हेतु	20.00 रू. प्रतिदिन
2	मैदान का व्यवसायिक/मेला आदि 1000 वर्गफूट तक	500.00 रू. प्रतिदिन
3	मुर्गा ,मुर्गा, बत्तख	10.00 रू. प्रति नग
4	मोटर सायकल से सब्जी	30.00 प्रति गाड़ी
5	सायकल, से सब्जी	15.00 रु.प्रति वाहन
6	रिक्शा, हाथ ठेला से सब्जी	50.00 रु.प्रति वाहन
7	ट्रेक्टर, से	75.00 प्रति ट्राली
8	आटो ,पिकअप	50.00 प्रति वाहन
9	कांवड़ भार मे	10.00 रु. प्रति भार
10	सिर बोझा	7.00 रु. प्रति बोझा
11	प्रति बोरा	10.00 रु. प्रति बोरा
12	खोमचा, पान ठेला, बर्फ ठेला एवं अन्य ठेला	20.00 रु. प्रति
13	लकड़ी, बेत तखत या खाट की सामग्री	20.00 प्रति नग
14	कपड़ा, बर्तन एवं अन्य 10X10 वर्गफूट तक	50.00 प्रतिदिन
15	मटन एवं कच्ची बड़ी मछली पसरा	50.00 प्रतिदिन
16	निगम क्षेत्र में अस्थाई दखल फीस	20.00 प्रति पसरा या ठेला

आड़तियों व कमीशन एजेंट को भी उपरोक्त दर पर बाजार फीस लगेगा ।

1. **शराब दुकान** – 25,000.00 रु. प्रतिवर्ष
2. पशुवध फीस -- रु. 50.00 प्रति पशु
3. पशु पंजीयन – मवेशी के मूल्य का 2 % पंजीयन शुल्क

2) **सामान्य आवेदन शुल्क** :– प्रति आवेदन शुल्क 5/–

3) मेला /प्रदर्शनी/सर्कस इत्यादि का **प्रदर्शन शुल्क** – 1000/– प्रतिदिन

4) स्वयं के निजी भवन /भूमि पर लगे होर्डिंग विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क

बिना लाईट – प्रतिवर्गफीट वर्तमान 25/–

लाईटयुक्त – प्रतिवर्गफीट वर्तमान 40/–

5) मनोरंजन कर (शो टेक्स) – प्रति शो 25.00 रु.

~~6) शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमो के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा~~ ।

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
		उक्त प्रस्ताव क्रमांक (02) के संबंध में कांग्रेस के 12 पार्षदों का संयुक्त हस्ताक्षर युक्त आवेदन पत्र प्राप्त जिसमें सम्पत्ति कर में 50% वृद्धि पर विचार एवं आपत्ति दर्ज करने बाबत अनुरोध किए हैं कि छ.ग. शासन द्वारा एकाएक वर्तमान सम्पत्ति करों में 50% वृद्धि करने के निगम को आदेशित किया गया जो कि अधिनियम विपरीत है। रायगढ़ नगर निगम सहित अन्य निगमों में भी सम्पत्ति कर प्रति वर्ष 10 से 20% की वृद्धि कर निर्धारित किया जाता रहा है। वर्तमान [illegible] 50% [illegible] इस मंदी के दौर पर [illegible] में इस मंदी के दौर पर गरीब एवं मध्यम वर्ग के परिवार पर दोहरी मार पड़ रही है। छ.ग. शासन को सहपरिवार में वृद्धि प्रतिवर्ष औसत से अधिक बढ़ाने के लिए छ.ग. के सभी नगर निगमों से अनापत्ति नाम से संकल्प लिया जाना चाहिए एवं नीति विशेषज्ञों से भी इस विषय पर विचार आमंत्रित कर वृद्धि करना न्यायोचित होता किंतु छ.ग. शासन ने छ.ग. के जनता को एवं नगर निगम के जन प्रतिनिधियों को बिना विश्वास में लिए सरकार के कैबिनेट अधिकारी का तुगलकी फरमान आदेश के रूप में जारी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ जबरन थोपा जा रहा है। छ.ग. शासन के द्वारा बढ़ाये गए 50% दर के संबंध में रायगढ़ की जनता एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में भी आपत्ति जताई गई थी किंतु शासन द्वारा इस पर कोई विचार प्रमाण यह कि 50% वृद्धि को सभी वर्ग पर एक समान शासन को उक्त आपत्तियों पर कम से कम इतना विचार

(38)

क्र.	प्रस्ताव	निर्णय
		करना चाहिए कि निम्न वर्गीय एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत मिल सके।
		अतः आज के नगर निगम सामान्य सभा के सम्पत्ति कर में 50% वृद्धि के आयोजित बैठक के प्रस्ताव क्रं. (02) पर हमारा आपत्ति व विचार दर्ज सत्यप्रतिलिपि उपलब्ध करावें। जिससे हम वृद्धि के विरोध में न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र रहें।
	[illegible]	[signature]
		सभापति नगर पालिक निगम रायगढ़ (छ.ग.)

सभापति
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)